

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1513 / FP/UK/ROAD/36547/2018 दिनांक: देहरादून 22 दिसम्बर, 2021
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में नारायणबगड़ चोपता मोटर मार्ग से पैठाणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.583 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 29.07.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 29.07.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1409/12-1 दिनांक 09.12.2021 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-


क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि Alternative का परीक्षण नहीं किया गया है। प्रस्तावित मार्ग Habitation तक नहीं जा रहा है तथा habitation के दूसरे छोर से खुले-वन क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा लाभान्वित होने वाले ग्राम की स्थिति के 0एम0एल0 फाईल पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (b), Part-I अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव हेतु नियमानुसार 02 Alternative का परीक्षण किया गया है तथा न्यूनतम वन भूमि वृक्षों एवं ग्राम वासियों की सहमति के आधार पर उत्तम समरेखण पर ही प्रस्ताव गठित किया है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 02 कि०मी० है एवं इस स्वीकृत मार्ग से habitation की दूरी मात्र 100-150 मी० है जिसको उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार 100-150 मी० दूरी पर मार्ग से जुड़ा माना जाता है। Alternative समरेखण पर दूसरी ग्राम सभा की भूमि पड़ती है एवं Alternative alignment के क्षेत्र के भू-स्खलन प्रभावित होने की भी सम्भावना है। लाभान्वित होने वाले ग्राम के KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C(ii) (B), Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
2	Shape of CA area in KML file is not matching with the shape shown in digital map. The state govt. may submit/upload the KML file and digital map of 3.80 ha CA carea having the shape of CA area matching in the both file.	Correction has been done in Form-A Part-I at relevant place.
3	FRA of DM uploaded is uploaded for non-linear proposal however the state govt. may submit the FRA related information/ documents perior to the issuance of the Stage II approval.	Correction has been done in Form-A Part-I at relevant place.

	Density is mentioned as zero in the NPV calculation sheet. State govt. may submit clarification in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न एन0पी0वी0 में Density एवं एन0पी0वी0 की दर टंकण की त्रुटिवंश गलत अंकित होने के कारण पुनः संशोधित एन0पी0वी0 का आंकलन शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, तथा ऑनलाईन पार्ट II में भी अपलोड किया जा रहा है। (संलग्न-1)
5	CA site suitability is not found uploaded state govt. may upload the same.	CA Site suitability certificate is uploaded in form-A part-II.

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।


भवदीय,


(मंयक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,

पत्रांक /FP/UK/ROAD/36547/2018/ दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1409/12-1 दिनांक 09.12.2021 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


(मंयक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,